प्रेस नोट - थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 07.11.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्ट्स भारी मात्रा में औजार बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06/07.11.2026 की रात्रि को थाना कोतवाली पुलिस टीम को गस्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमें से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिलों को चोरों ने बरेली-सीतापुर हाईवे पर गर्रा पुल के निकट एक खाली प्लाट की चार दिवारी में खडा कर रखा है जिनके पास अन्य चोरी की मोटरसाईकिल व पार्टस हैं, अब ये सभी मोटरसाईकिल व उनके पार्टस को वहां से कहीं ले जाने की फिराक में है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गए स्थान से अभियुक्त 1. विकास अवस्थी पुत्र जितेन्द्र अवस्थी, उम्र 24 वर्ष, नि0मो0 ब्राह्मनान, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर, 2. जाबिद पुत्र बन्ने, उम्र 19 वर्ष व 3. आसिफ पुत्र मोबिन, उम्र 22 वर्ष, निवासीगण ग्राम दिवियापुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर को समय 23.11.26 को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 349/26 धारा 303(2)बीएनएस , मु0अ0सं0 383/26 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 394/26 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 395/26 धारा 303(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 01 मोटरसाइकिल, 01 मोटर साइकिल बिना पहिया, 01 मोटरसाइकिल बिना पहिया व इंजन, 01 मोटरसाइकिल चेसिस, 02 मोटरसाइकिल के पार्ट्स, अन्य मोटर साइकिल के हिस्से एवं भारी मात्रा में औजार, 2180 रुपये नकद व 2 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर सभी अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. विकास अवस्थी पुत्र जितेन्द्र अवस्थी, उम्र 24 वर्ष, नि0मो0 ब्राह्मनान, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।
2. जाबिद पुत्र बन्ने, उम्र 19 वर्ष, नि0 ग्राम दिवियापुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।
3. आसिफ पुत्र मोबिन, उम्र 22 वर्ष, नि0 ग्राम दिवियापुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 349/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 383/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 394/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 395/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान व समय

दिनांक 06.11.26 को समय 23.51 बजे, बरेली – सीतापुर हाईवे पर गर्रा पुल के निकट एक खाली प्लाट की चार दिवारी से।

बरामदगी का विवरण

01 मोटरसाइकिल, 01 मोटर साइकिल बिना पहिया, 01 मोटरसाइकिल बिना पहिया व इंजन, 01 मोटरसाइकिल चेसिस, 02 मोटरसाइकिल के पार्ट्स, अन्य मोटर साइकिल के हिस्से एवं भारी मात्रा में औजार, 2180 रुपये नकद व 2 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन

अपराधिक इतिहास

विकास

मु0अ0सं0 349/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 383/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 394/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 395/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 398/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 श्री सुशान्त रावत
का0 रोहित कुमा
का0 राहुल कुमार
का0 सोनू सिंह
का0 अजय कुमार शर्मा